उद्यमियों के लिए 20 से एकमुश्त समाधान योजना

जासं, लखनऊ : उद्यमियों के लिए बड़ी राहत की खबर। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीएसआइडीसी) द्वारा उद्यमियों के लिए एकमुश्त समाधान योजना शुरू की गई है। इसका लाभ लखनऊ औद्योगिक क्षेत्र के अलावा प्राधिकरण के 154 औद्योगिक विकास क्षेत्रों के उद्यमियों को मिलेगा।

- **ब्याज पर पचास प्रतिशत की छूट के अलावा कई अन्य राहत, बीस फरवरी तक लाभ उठा सकेंगे उद्यमी**

कोरोना काल के बाद जिस तरह उद्योग जगत में मंदी छाई थी, उससे उबरने में उद्यमियों को समय लग रहा था। यूपीएसआइडीसी की ओर से उद्योगों को इस संकट से उबारने के लिए ही यह एकमुश्त समाधान योजना लागू की गई है। एकमुश्त समाधान योजना बीस दिसंबर से शुरू की जा रही है। योजना अवधि में उद्यमियों द्वारा पूर्ण बकाया अनुरक्षण शुल्क का भुगतान करने की दशा में भुगतान की तिथि तक उस पर देय ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। छूट के उपरांत देय राशि को एकमुश्त अथवा 25 प्रतिशत भुगतान के साथ तीन मासिक ब्याज रहित किस्तों में भुगतान किए जाने की सुविधा उपलब्ध होगी। योजना का लाभ बीस फरवरी तक मिलेगा। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निवेश मित्र पोर्टल से बकाया देयों की राशि तथा अनुमन्य छूट का विवरण प्राप्त करते हुए आनलाइन भुगतान की सुविधा उपलब्ध होगी। उद्यमियों को प्राधिकरण के किसी भी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। पोर्टल में प्रदर्शित अनुरक्षण शुल्क तथा देय ब्याज की बकाया राशि के विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि का निराकरण कराने की सुविधा भी उद्यमियों को दस फरवरी तक आनलाइन उपलब्ध होगी।